

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड
भोपालपानी, थानों रोड, देहरादून।
E mail- dir.ukdgm@gmail.com

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून में आउटसोर्सिंग के आधार पर मानवशक्ति/कार्मिक आपूर्ति हेतु
निविदा प्रपत्र - वर्ष 2024-25

निविदा शुल्क ₹0 4000.00 +18 % GST

| | | |
|-----|--|--|
| 01. | निविदा संख्या :- 1622 | दिनांक 26.06.2024। |
| 02. | विभागीय वेबसाइट dgm.uk.gov.in पर उपलब्ध होने की तिथि | दिनांक 26.06.2024 से। |
| 03. | तकनीकी बिड खोलने की तिथि | दिनांक 11.07.2024 को दोपहर 12:00 बजे। |
| 04. | वित्तीय बिड खोलने की तिथि | तकनीकी निविदा के पश्चात् निर्धारित की जायेगी। |
| 05. | तकनीकी बिड खोलने का स्थान | भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून। |
| 06. | फर्म का नाम व पता | |
| 07. | फर्म का जी0एस0टी0 पंजीयन संख्या | |
| 08. | फर्म का आयकर PAN | |
| 09. | धरोहर राशि (ई0एम0डी0) की धनराशि | |

धरोहर राशि का विवरण :-

| बैंक का नाम | F.D.R संख्या | दिनांक | धनराशि |
|-------------|--------------|--------|--------|
|-------------|--------------|--------|--------|

निविदा शुल्क + 18 % GST का पृथक-पृथक बैंक ड्रॉफ्ट का विवरण :-

| बैंक का नाम | F.D.R संख्या | दिनांक | धनराशि |
|-------------|--------------|--------|--------|
|-------------|--------------|--------|--------|

निविदा फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
प्रतिनिधि का नाम.....
दूरभाष संख्या.....
मोबाईल नम्बर.....

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

मो०न०. 8192802347

ई-मेल :-dir.ukdgm@gmail.com

निविदा दस्तावेज विषयक
Tender Document
(तकनीकी एवं वित्तीय बोली दस्तावेज दोनों शामिल)
(Includes both Technical & Financial documents)

निविदा/भू०खनि०निदे०/2024-25

दिनांक

,2024

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में आउटसोर्सिंग के आधार पर मानव शक्ति/कार्मिक प्रदान करने के लिए एजेंसी के चयन के लिए निविदा सूचना।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में अनुबंध के आधार पर विभिन्न श्रेणी के कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए विधिवत पंजीकृत/प्रतिष्ठित जनशक्ति सेवा प्रदाताओं/संगठन/एजेंसियों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। विभिन्न कर्मचारियों की श्रेणीवार आवश्यकता एवं सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 311/XVII-C-1/2024-09(17)/2004-TC-2 दिनांक 26 फरवरी, 2024 के द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार उक्त कार्मिकों हेतु वेतन का विवरण निम्न प्रकार है :-

| क्र.स. | मजदूरी (प्रति माह) | खान अधिकारी | सहायक भूवैज्ञानिक | खान निरीक्षक | सर्वेक्षक | सहायक खनिज पर्यवेक्षक | कनिष्ठ सहायक | चालक | फिल्ड परिचर |
|--------|--|-------------|-------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|-------|-------------|
| 1. | Basic Wages | 39171 | 39171 | 13057 | 13057 | 11737 | 11737 | 11737 | 9187 |
| 2. | Gratuity 4.81% of Ser 1 | 0 | 0 | 628 | 628 | 565 | 565 | 565 | 442 |
| 3. | House allowance 10% of Ser 1 | 0 | 0 | 1306 | 1306 | 1174 | 1174 | 1174 | 919 |
| 4. | Clothing Allowance 10% of Ser.1 | 0 | 0 | 1306 | 1306 | 1174 | 1174 | 1174 | 919 |
| 5. | Bonus 8.33% of Rs.7000 | 0 | 0 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 |
| 6. | Total (Ser 1 to 5) | 39171 | 39171 | 16880 | 16880 | 15233 | 15233 | 15233 | 12050 |
| 7. | EPF 13.15% of Ser.1 (Employer Share) | 0 | 0 | 1697 | 1697 | 1526 | 1526 | 1526 | 1194 |
| 8. | ESIC 4.75% of Ser 6 (Where Applicable) | 0 | 0 | 549 | 549 | 495 | 495 | 495 | 392 |
| 9. | Total (Ser 6+7+8) | 39171 | 39171 | 19126 | 19126 | 17254 | 17254 | 17254 | 13636 |
| 10. | EPF 13.15% of Ser 1 (Employer Share) | 0 | 0 | 1697 | 1697 | 1526 | 1526 | 1526 | 1194 |
| 11. | ESIC 4.75% of Ser 6 (Where Applicable) | 0 | 0 | 549 | 549 | 495 | 495 | 495 | 392 |
| 12. | EPF 12% (Employee Share) | 0 | 0 | 1567 | 1567 | 1408 | 1408 | 1408 | 1102 |
| 13. | ESIC 1.75% of Ser 6 Employees Share (Where Applicable) | 0 | 0 | 127 | 127 | 114 | 114 | 114 | 90 |

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 14. | Total Deductions (Ser 10+11+12+13) | 0 | 0 | 3940 | 3940 | 3543 | 3543 | 3543 | 2778 |
| 15. | Net in hand to Employee (9-14) | 39171 | 39171 | 15186 | 15186 | 13711 | 13711 | 13711 | 10858 |
| 16. | Leave Relief 29.98% of Ser No 9 (Where applicable) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Service Charge 2.5% of Ser 9 | 979 | 979 | 478 | 478 | 431 | 431 | 431 | 341 |
| 18. | Total (Ser 9+17) | 40150 | 40150 | 19604 | 19604 | 17685 | 17685 | 17685 | 13977 |
| 19. | GST 18% of Ser 18 | 7227 | 7227 | 3529 | 3529 | 3183 | 3183 | 3183 | 2516 |
| 20. | Total payable by Principal Employer (Ser No 18+19) | 47377 | 47377 | 23133 | 23133 | 20868 | 20868 | 20868 | 16493 |


विभिन्न कर्मचारियों की श्रेणीवार आवश्यकता के सापेक्ष उपरोक्त दरों के अनुसार प्रतिमाह कुल वेतन :-

| क्र०सं० | पदनाम | वेतन (भत्ते, जी०एस०टी०, सर्विस चार्ज एवं अन्य एवं करों सहित रू० में) | कार्मिकों की आवश्यकता | कुल वेतन (भत्ते, जी०एस०टी०, सर्विस चार्ज एवं अन्य एवं करों सहित रू० में) |
|---------|-----------------------|--|-----------------------|--|
| 1. | खान अधिकारी | 47377 | 03 | 142131 |
| 2. | सहायक भूवैज्ञानिक | 47377 | 01 | 47377 |
| 3. | खान निरीक्षक | 23133 | 06 | 138798 |
| 4. | सर्वेक्षक | 23133 | 03 | 69399 |
| 5. | सहायक खनिज पर्यवेक्षक | 20868 | 06 | 125208 |
| 6. | कनिष्ठ सहायक | 20868 | 01 | 20868 |
| 7. | चालक | 20868 | 05 | 104340 |
| 8. | फिल्ड परिचर | 16493 | 02 | 32986 |
| | कुल योग | | 27 | 681107 |


 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
 भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
 उत्तराखण्ड, देहरादून

शैक्षिक अर्हताएं :-

| क्र०सं० | पदनाम | शैक्षिक योग्यता | न्यूनतम अनुभव |
|---------|-------------------|--|---|
| 1. | खान अधिकारी | <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से खनिकर्म अभियन्त्रण में उपाधि</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खनिकर्म अभियन्त्रण में डिप्लोमा के साथ खनिज संचालन के पर्यवेक्षण का कम से कम एक वर्ष का अनुभव और वृहत और लघु खनिज समानुदानों से संबंधित कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में परास्नातक।</p> | डिप्लोमा धारकों हेतु खनिज संचालन के पर्यवेक्षण का कम से कम एक वर्ष का अनुभव और वृहत और लघु खनिज समानुदानों से संबंधित कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव। |
| 2. | सहायक भूवैज्ञानिक | भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूविज्ञान या प्रयुक्त भूविज्ञान में कुल योग में कम से कम 50 प्रतिशत अंको सहित स्नातकोत्तर उपाधि। | क्षेत्र कार्य का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव। |
| 3. | खान निरीक्षक | <p>किसी मान्यता प्राप्त संस्था से खनिकर्म अभियांत्रिकीय में डिप्लोमा।</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में स्नातक।</p> | - |
| 4. | सर्वेक्षक | किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम से कम दो वर्ष के पाठ्यक्रम के सर्वेक्षण शिल्पकारिता (सर्वेक्षण) में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा। | पर्वतीय क्षेत्रों में टेक्नोमैट्रिक सर्वेक्षण का अनुभव। |



 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
 भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
 उत्तराखण्ड, देहरादून

| | | | |
|----|-----------------------|--|---|
| 5. | सहायक खनिज पर्यवेक्षक | अभ्यर्थी को मा10 शिक्षा बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। | — |
| 6. | कनिष्ठ सहायक | अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। हिन्दी टंकण में प्रतिमिनट 25 शब्द की गति भी होनी आवश्यक है। | — |
| 7. | चालक | माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड की हाई स्कूल या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। हल्के/भारी वाहनों के संचालन हेतु ड्राइविंग लाईसेंस अनिवार्य होगा। | मैदान एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वाहन संचालन का 03 वर्ष का अनुभव हो। |
| 8. | फिल्ड परिचर | माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड की हाई स्कूल या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। | — |

योग्यताओं का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकार के अधीन है। उत्तराखण्ड सरकार के अनुसार, मापदंडों को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

नोट : कार्मिक की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह उत्तराखण्ड राज्य का निवासी होना चाहिए।

(ख) सेवा प्रदाता का मुख्य/शाखा कार्यालय देहरादून, उत्तराखण्ड में होना चाहिए।


 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
 भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
 उत्तराखण्ड, देहरादून

निविदा शुल्क

निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 4000/- (चार हजार रुपये मात्र) + उक्त धनराशि का 18% GST को पृथक-पृथक बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून" के पक्ष में जमा किया जायेगा।

अनुसूची (संभावित)

| | | |
|----|--|---|
| 1. | अवधि | 11 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो। |
| 2. | सुरक्षा संबंधी निर्देश | एजेंसी द्वारा आपूर्ति किए गए व्यक्तियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल पुलिस रिकॉर्ड या आपराधिक मामले लंबित नहीं होने चाहिए। एजेंसी को जिन व्यक्तियों की सिफारिश की जा रही है उनके चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में पर्याप्त पूछताछ की जानी होगी और अपनी सेवाएं देते समय राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र जमा कराये जाने होंगे। |
| 3. | अवधि जिसके भीतर जनशक्ति की आपूर्ति की जानी चाहिए | अनुबंध दिए जाने के 7 दिनों के भीतर। |
| 4. | निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि | 10.07.2024 |
| 5. | निविदा खोले जाने की तिथि | 11.07.2024 |

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड



भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

नियम एवं शर्तें

1. अनुबंध 11 महीने अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए वैध होगा और विभाग की आवश्यकता के अनुसार दोनों पक्षों के आपसी सहमति से घटाया/बढ़ाया जा सकता है।
2. सेवा प्रदाता समय-समय पर विभाग द्वारा अपेक्षित आवश्यकतानुसार कर्मियों को नियुक्त करेगा। सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त किये गये कार्मिक सेवा प्रदाता के कर्मचारी होंगे तथा प्रत्येक माह उनका वेतन भुगतान करना सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी।
3. कार्य दिवसों के दौरान काम के घंटे आम तौर पर प्रतिदिन 8 घंटे निर्धारित रहेंगे, जिसमें आधे घंटे का लंच ब्रेक भी शामिल होगा।
4. यदि आवश्यक हो तो कर्मियों को रविवार और अन्य राजपत्रित छुट्टियों पर बुलाया जा सकता है।
5. सेवा प्रदाता माह के प्रथम सप्ताह में तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत करेगा। भुगतान माह के दूसरे सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। यदि संबंधित मद हेतु बजट उपलब्ध नहीं है तो बजट उपलब्ध होने पर भुगतान संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
6. सेवा प्रदाता को भुगतान उस अधिकारी (एमओ आईसी/प्राधिकृत प्राधिकारी), जिसके नियंत्रणाधीन कार्मिक कार्यरत होगा, के द्वारा इस आशय के प्रमाणीकरण पर किया जाएगा, कि उक्त कार्मिक की सेवाएं संतोषजनक रही और सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत बिल के अनुसार किया जायेगा।
7. यदि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत कारणों से नौकरी छोड़ने की कोई संभावना हो तो सेवा प्रदाता पहले से ही उक्त व्यक्ति के सापेक्ष एक विकल्प प्रदान करेगा। उक्त विकल्प हेतु उपलब्ध कराये गये व्यक्ति को स्थानापन्न की ओवरलैपिंग अवधि के लिये वेतन भुगतान किये जाने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
8. सेवा प्रदाता हर समय संपर्क के लिए उपलब्ध रहेगा, और इस कार्यालय से सेवा प्रदाता को ई-मेल/दूरभाष/स्पेशल मैसेंजर व अन्य द्वारा भेजे गए संदेश की प्राप्ति तुरंत स्वीकार की जाएगी।
9. तैनात कर्मी किसी भी व्यक्ति को कार्यालय संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी, कार्यालय की परिचालन प्रक्रिया, तकनीकी जानकारी, सुरक्षा व्यवस्था और

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रशासनिक/संगठनात्मक मामलों का कोई विवरण नहीं बताएंगे क्योंकि ये सभी गोपनीय/गुप्त प्रकृति के हैं।

10. सेवा प्रदाता के कार्मिक औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधान के तहत कार्यालय के साथ किसी भी लाभ/मुआवजे/अवशोषण/सेवा के नियमितीकरण के हकदार नहीं होंगे। सेवा प्रदाता द्वारा कार्यालय में तैनात सभी कर्मियों के संबंध में इस आशय का उपक्रम (undertaking) इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

11. यह कार्यालय सेवा प्रदाता से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति को, जो अक्षम हो या उसके/उनके कदाचार के लिए कार्य स्थल से बर्खास्त कर दे या हटा दे और सेवा प्रदाता को तुरंत इसका अनुपालन करना होगा।

12. आउटसोर्सिंग एजेंसी निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों के ईपीएफ, ईएसआई और अन्य सभी मुद्दों का संबंधित कार्यालयों से सम्पर्क बनाए रखते हुए लेखा-जोखा बनाए रखेगी और हर महीने प्रत्येक व्यक्ति से सम्बन्धित दस्तावेजों की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करेगी। बकाया/भुगतान के प्रति निदेशालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

13. केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं की वित्तीय निविदा खोली जाएगी जो तकनीकी निविदा में अर्हता प्राप्त करते हैं तथा सक्षम एवं उत्तरदायी पाए जाते हैं। वित्तीय निविदा का मूल्यांकन निविदाकर्ताओं द्वारा उद्धृत सेवा शुल्क प्रतिशत (%) के अनुसार किया जाएगा। इस प्रकार, एक बोली जो काफी हद तक प्रतिक्रियाशील है और न्यूनतम सेवा शुल्क उद्धृत करती है उसे एल-1, इत्यादि के रूप में रैंक किया जाएगा। किसी भी निविदा लगाने वाले निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत सेवा शुल्क उस निविदाकर्ता द्वारा देय टीडीएस से कम नहीं होना चाहिए जिसे अंतिम रूप से जनशक्ति की आपूर्ति के लिए चुना गया है।

14. नियम और शर्तें सामान्य वित्तीय नियमों (2) 17 द्वारा निर्देशित होंगी।

15. सेवा प्रदाता स्थानीय पुलिस द्वारा जांच के बाद उचित पृष्ठभूमि से उपयुक्त लोगों की तैनाती सुनिश्चित करेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक खाता विवरण, पिछले कार्य अनुभव, निवास का प्रमाण और नवीन तस्वीर, पहचान प्रमाण एकत्र करेगा और ऐसे कर्मचारी, जो किसी भी कारण से निदेशालय द्वारा अनुपयुक्त पाये जाते हैं, उन्हें निदेशालय से प्राप्त अनुरोध के आधार पर तत्काल वापस ले लिया जायेगा।


मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

16. सेवा प्रदाता कार्यालय परिसर में अपने कर्मियों का उचित आचरण सुनिश्चित करेगा और मादक पेय, पान, धूम्रपान, आवारागर्दी आदि पर प्रतिबंध लागू करेगा।
17. सेवा प्रदाता के कर्मियों के संबंध में परिवहन, भोजन, सामग्री और अन्य वैधानिक आवश्यकता सेवा प्रदाता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।
18. सेवा प्रदाता निदेशालय की आवश्यकता के अनुसार किसी भी आपात्कालीन स्थिति में अल्प अवधि के लिए भी आवश्यक कार्मिक उपलब्ध कराएगा।
19. सेवा प्रदाता द्वारा लिपिकीय कार्मिकों को निदेशालय में तभी तैनात किया जाएगा जब उनके कार्य, उनकी कंप्यूटर के उपयोग में योग्यता और दक्षता का परीक्षण निदेशालय द्वारा किया जाएगा।
20. एजेंसी को संबंधित सरकारी प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत होना आवश्यक होगा, और पंजीकरण की एक प्रति जमा करायी जायेगी। एजेंसी को अपना पैन और जीएसटी पंजीकरण नंबर निदेशालय में जमा करना होगा।
21. धरोहर राशि (ईएमडी) के रूप में ₹0 1,50,000/- की एफ0डी0आर0 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखंड के पक्ष में जमा करायी जानी होगी। ऐसा न करने पर बोली वैध नहीं मानी जायेगी।
22. सफल निविदाकर्ता को performance guarentee के रूप में ₹0 6,00,000/- की एफ0डी0आर0 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पक्ष में जमा करना होगा।
23. ई0एम0डी0 की धनराशि रु. 1,50,000/- एवं performance guarentee की धनराशि ₹0 6,00,000/- जिसे उपर्युक्त किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में जब्त कर लिया जाएगा।
24. उत्तराखंड सरकार द्वारा तय किये गये श्रम कानून लागू होंगे।
25. समस्त उत्तराखंड सरकार के शासनादेश लागू होंगे।
26. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखंड के पक्ष में निविदा शुल्क ₹0 4000/- + उक्त धनराशि का 18% GST का पृथक-पृथक बैंक ड्राफ्ट जमा कराना होगा।



 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
 भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
 उत्तराखण्ड, देहरादून

महत्वपूर्ण नोट

चूंकि यह विभाग आरटीआई अधिनियम के दायरे में एक सरकारी संस्थान है, इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि सेवा प्रदाता सभी रिकॉर्ड को उचित रूप से अनुक्रमित रखते हुए व्यवस्थित तरीके से बनाए रखेगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रतियां उपलब्ध करायी जा सकें। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, एक सप्ताह की नोटिस अवधि देकर किसी भी समय रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकते हैं।

पात्रता मापदंड

1. एजेंसी को कंपनी अधिनियम, ईपीएफ, ईएसआई अधिनियम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत सेवा कर के तहत संबंधित सरकारी प्राधिकरणों में पंजीकृत होना आवश्यक होगा। पंजीकरण की एक प्रति जमा करायी जानी होगी। एजेंसी को इस आशय का उपक्रम (undertaking) भी देना होगा कि वे सभी प्रासंगिक वैधानिक मानदंडों का पालन करेंगे।
2. एजेंसी के पास जनशक्ति आपूर्ति करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जिन एजेंसियों का मुख्यालय देहरादून से बाहर है, उनका शाखा कार्यालय देहरादून में होना आवश्यक होगा।
3. एजेंसी को अपना पैन और जीएसटी पंजीकरण नंबर जमा करना होगा।
4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के पक्ष में एफडीआर0 के रूप में रू0 1,50,000/- रुपये की धरोहर धनराशि (ईएमडी) करायी जानी होगी। ऐसा न करने पर बोली वैध नहीं मानी जायेगी।
5. सफल निविदा लगाने वाले को एफ0डी0आर0 के रूप में 6,00,000/- रुपये के बराबर performance guarentee जमा करनी होगी, जो उपर्युक्त किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में जब्त कर ली जाएगी।


मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

आवेदन किये जाने की प्रक्रिया

निविदाएं दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जायेगी। पहले सीलबंद लिफाफे के ऊपर संलग्नक I से IV के अनुसार 'Technical bid' लिखा होना चाहिए तथा उक्त लिफाफे में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के पक्ष में पफॉरमैन्स गारंटी की एफ0डी0आर0, ई0एम0डी0 की एफ0डी0आर0 एवं निविदा शुल्क रू0 4000/+ उक्त धनराशि का 18% GST का पृथक-पृथक बैंक ड्राफ्ट रखा जायेगा।

दूसरे सीलबंद लिफाफे जिस पर 'Financial bid' लिखा जायेगा में संलग्नक-V रखा जायेगा। दोनों सीलबंद लिफाफों को एक ही लिफाफे में रखा जायेगा जिस पर "अनुबंध के आधार पर विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को उपलब्ध कराने के लिए निविदा" लिखा जायेगा, को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून को भेजी जायेगी। निविदा को दिनांक 10.07.2024 को 05:00 बजे तक निदेशालय तक पहुंचाया जाना अनिवार्य होगा। इस समयावधि के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

निविदाएं दिनांक 11.07.2024 को भाग लेने वाले निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में (यदि वे उपस्थित रहना चाहें) विभागीय गठित समिति द्वारा खोली जाएंगी।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

**तकनीकी
निविदा का विवरण**

| क्र०सं० | ब्यौरा | विवरण |
|---------|---|-------|
| 1. | निविदा कंपनी/फर्म/एजेंसी का नाम | |
| 2. | स्वामी/भागीदार/निदेशकों के नाम | |
| 3. | कार्यालय का पूर्ण ब्यौरा | |
| 4. | पता | |
| 5. | मो०नं०/ई-मेल | |
| 6. | कंपनी/फर्म/एजेंसी के बैंकों का पूरा विवरण पूरा पता एवं दूरभाष नं० सहित। | |
| 7. | बैंक का नाम बैंक शाखा का नाम एकाउंट नं० एवं आई०एफ०एस०सी० कोड | |
| 8. | बैंक का पता दूरभाष नं० ई-मेल | |
| 9. | पैन नं०/GIR नं० | |
| 10. | जी०एस०टी० पंजीकरण संख्या | |
| 11. | ई०पी०एफ० पंजीकरण संख्या | |
| 12. | ई०एस०आई० पंजीकरण संख्या | |
| 13. | अन्य जानकारियां | |


दिनांक :-

स्वामी/प्रबंधक भागीदार/निदेशक के हस्ताक्षर

नाम:-.....

स्थान :-.....

सील :-.....


मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

**तकनीकी निविदा,
फर्म का अनुभव
प्रचलित अनुबंधों का विवरण**

| क्र०सं० | संगठन का नाम व पता | अनुबंध सम्बन्धी विवरण (कार्यरत कार्मिकों सहित) | अनुबंध का मूल्य (रु० में) | अनुबंध की अवधि | |
|---------|--------------------|--|---------------------------|----------------|-------|
| | | | | कब से | कब तक |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |

स्वामी/प्रबंधक भागीदार/निदेशक के हस्ताक्षर

दिनांक :-

नाम:-.....

स्थान :-.....

सील :-.....



मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

घोषणा

कार्य का नाम :- भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड में 11 माह की अवधि के लिए या नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, जॉब आउटसोर्सिंग के आधार पर मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए निविदा

आदरणीय महोदय,

1. मैं/हम उपर्युक्त कार्यों के लिए निविदा आवेदन प्रस्तुत करते हैं।
2. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदा दस्तावेज को पढ़ और समझ लिया है और भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड में 11 माह की अवधि या भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक, जो भी पहले हो, के लिए नौकरी आउटसोर्सिंग के आधार पर मानव शक्ति प्रदान करने के लिए निविदा के संबंध में **भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड** द्वारा निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूं।
3. मैं/हम पुष्टि करते हैं कि फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज सुपाठ्य हैं और अपठनीय दस्तावेज का दायित्व फर्म/कंपनी/एजेंसी का होगा।
4. निविदा दस्तावेज में दी गई जानकारी सत्य है और यदि कोई बात गलत पाई जाती है, तो इसके लिए कंपनी जिम्मेदार होगी।
5. यह प्रमाणित किया जाता है कि एजेंसी को किसी भी केंद्रीय सरकार, विभाग या राज्य सरकार या केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत बनाये गये किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा कभी भी ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है।

दिनांक :-

स्वामी/प्रबंधक भागीदार/निदेशक के हस्ताक्षर

नाम:-.....

स्थान :-.....

सील :-.....


मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

तकनीकी निविदा और चेकलिस्ट

कार्य का नाम :- भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड में 11 माह की अवधि के लिए या नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, जॉब आउटसोर्सिंग के आधार पर मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए निविदा।

निविदा जमा करने के लिए चेकलिस्ट

(निविदाकर्ता द्वारा भरा जाना है और तकनीकी निविदा के साथ जमा किया जाना है)

| क्र०सं० | ब्यौरा | हाँ/नहीं | हाँ/नहीं |
|---------|---|----------|----------|
| 1. | निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के पक्ष में बन्धक रखी गयी ई०एम०डी० एवं पी०जी० के रूप में एफ०डी०आर०। | | |
| 2. | निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के पक्ष में निविदा प्रपत्र शुल्क रू० 4000/+ उक्त धनराशि का 18% GST का पृथक-पृथक बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट। | | |
| 3. | ई०एस०आई० पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति। | | |
| 4. | ई०पी०एफ० पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति। | | |
| 5. | पात्रता मानदण्ड 1, 2 एवं 3 के समर्थन के लिए संतोषजनक कार्य पूर्ण किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति। | | |
| 6. | पैन कार्ड की छायाप्रति। | | |
| 7. | फर्म/कंपनी/एजेन्सी के समावेश की छायाप्रति। | | |
| 8. | जी०एस०टी पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति। | | |

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | | |
| 9. | वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 से सम्बन्धित ऑडिटेड बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते के साथ आयकर रिटर्न विवरण की छायाप्रति। | | |
| 10. | श्रम विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति। | | |
| 11. | निविदा प्रपत्र हस्ताक्षरित किये जाने सम्बन्धी प्राधिकृत प्रमाण पत्र (यदि निविदाकार से कोई इतर हो तो)। | | |
| 12. | संलग्नक-3 के अनुसार घोषणा की छायाप्रति। | | |
| 13. | प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक कागज़ पर हस्ताक्षर किये गये निविदा प्रपत्रों की छायाप्रति। | | |
| 14. | रद्द किये गये चेक की छायाप्रति। | | |

निविदाकर्ता सुनिश्चित करें कि :-

1. उपरोक्त समस्त अभिलेख जमा करा दिये गये हों।
2. उपरोक्त समस्त अभिलेख की नंबरिंग की गयी हो।
3. समस्त अभिलेख पठनीय हों।

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त दी गई जानकारी सत्य और सही है। नियम और शर्तें हमें स्वीकार्य हैं और मुझे निविदा बोली लगाने का अधिकार है।

दिनांक :-

स्वामी/प्रबंधक भागीदार/निदेशक के हस्ताक्षर

नाम:-.....

स्थान :-.....

सील :-.....


मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून


(Financial Bid) वित्तीय निविदा
(निविदाकर्ता द्वारा भरा जाना है)

मै/हम, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड में सेवा प्रदान करने के लिए निविदा दस्तावेज की गणना के अनुसार नियम और शर्तों को देख लिया है। मै/हम उस पर निहित सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं और इस फर्म के सबसे कम दर (संबंधित कॉलम में) का हवाला देते हैं।

हम वचन देते हैं कि हमारा एजेंसी/फर्म केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन मानकों का अनुपालन करेगा।

| क्र०सं० | कार्य का विवरण | % सेवा शुल्क ,जो सभी ईपीएफ और ईएसआई योगदान के समायोजन एवं जीएसटी को सकल पारिश्रमिक से बाहर रखते हुए चार्ज किया जायेगा। |
|---------|--|--|
| 1. | भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में खान अधिकारी-03, सहायक भूवैज्ञानिक-01, खान निरीक्षक-06, सर्वेक्षक-03, सहायक खनिज पर्यवेक्षक-06, कनिष्ठ सहायक- 01, चालक- 05, फिल्ड परिचर-02 के पदों पर आउटसोर्सिंग के आधार पर 11 महीने अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, की अवधि तक मानव शक्ति/जनशक्ति प्रदान करना। | |

नोट :- किसी भी दशा में निविदा लगाने वाले निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत सेवा शुल्क उस निविदाकर्ता द्वारा देय टीडीएस (02 प्रतिशत) से कम नहीं होना चाहिए।


मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून